न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. गोविन्दा पुत्र किशना मीणा		1. बिरमाराम खोले रामुराम मेघवंशी
2. सेतिया पुत्र किशना मीणा		2. लादूराम पुत्र दलाराम मेघवंशी
3. रामदेव पुत्र धन्ना मीणा		3. भंवरीदेवी पत्नी नाथूराम मेघवंशी
4. नेमुड़ी बेवा नाथूराम मीणा		4. रामपाल पुत्र नाथूराम मेघवंशी
5. नेमाराम पुत्र मालाराम मीणा		5. सोहन पुत्र नाथूराम मेघवंशी
6. रूघनाथ पुत्र मालाराम मीणा		6. मदन पुत्र नाथूराम मेघवंशी
7. बन्नाराम पुत्र मालाराम मीणा		7. चैना पुत्र नाथूराम मेघवंशी
निवासी गोविन्दी तह. नावां		8. किशना पुत्र नाथूराम मेघवंशी
		9. मोहन पुत्र भूराराम मेघवंशी
		निवासी गोविन्दी तह.नांवा
		10. तहसीलदार नांवा
		11. उप पंजीयक नांवा
		12. जयपुर नागौर ग्रामीण बैंक शाखा नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विनोदसिंह वकील वादीगण

श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :– 97/2007 निर्णय दिनांक :– 27.02.2018

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गोविन्दी के गत खसरा नम्बर 110 रकबा 174–11 बीघा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 436, 437, 439, 440, 441, 568, 576, कुल रकबा 25.99 हैक्टयर कायम हुऐ हैं जिसमें वादीगण के कब्जे काश्त में 3/5 हिस्स की भूमि तथा 1/5 हिस्स की भूमि प्रतिवादी 1 की तथा 1/5 हिस्सा शेष प्रतिवादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है, तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी समझाईश से मौके पर बंटवारा कर रखा हैं जिसके अनुसार वादीगण की 3/5 हिस्से की यानि 15.60 हैक्टयर भूमि मौके पर अलग बंटी हुई हैं जिसके सीवें नीवें कायम हो रखी हैं

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

लेकिन गलती से वादीगण के हिस्से में 3/5 हिस्सा दर्ज नहींह ोकर 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हो गई व राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाती मीणा दर्ज होने से छुट गई। वादीगण ने वाद पेश कर उक्त विवादित भूमि कुल रकबा 25.99 हैक्टयर भूमि में 3/5 हिस्से की यानि 15.60 हैक्टयर भूमि के खातेदार वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किऐ जाने तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति मीणा अंकित करने एवं मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर प्रतिवादगीण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 3 से 9 ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुऐ जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 8.6633 हैक्टयर भूमि वादीगण की तथा 1/3 हिस्सा यानि 8.6633 हैक्टयर प्रर्तिवादी 1 की एवं 1/3 हिस्सा 8.6633 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 3 से 9 की खातेदारी व कब्जे काश्त मे सही दर्ज चली आ रही हैं इसी प्रकार से वर्षो पूर्व बंटवारा कर लिया हैं वादीगण का उक्त भूमि में 3/5 हिस्से पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं प्रतिवादीगण अनुसुचित जाति के व्यक्ति हैं जिनके खातेदारी अधिकारो की भूमि अहस्तान्तरणिय हैं वादीगण 3/5 हिस्से की भूमि की खातेदारी पाने के किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं हैं वाद खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात प्रकरण लगभग 11 वर्ष पुराना होने से प्रकरण में तनकीया कायम कर मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर निस्तारण नहीं कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निर्णय करने की हिदायत पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमती पर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने जामबन्दी सम्वत 2013 से 2039 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 110 रकबा 174–11 बीघा भूमि की खातेदारी किसना, मालिया, धना पि. भीवड़ा कौम मीणा 1/3 हिस्सा, रामला वल्द मोडू 1/3 हिस्सा भूरा वल्द नेनू बलाई 1/3 हिस्सा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं सम्वत 2040–2042 में उक्त भूमि की खातेदारी गोविन्दा सेतीया पि. किशना, रामदेव, नाथू पि. धन्ना, मालो पुत्र भीवड़ा 1/3 हिस्सा बिरमा खोले रामू 1/3 हिस्सा भूरा वल्द नानू 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। तत्पश्चात तहसील नांवा का भू प्रबन्ध कार्य हुआ हैं जिसमें ग्राम गोविन्दी के गत खसरा नम्बर 110 के नये खसरा नम्बर 436, 437, 439, 440, 441, 568, 576 कुल रकबा 25.99 हैक्टयर कायम हुऐ हैं जिसमें गोविन्दा, सोतिया पि. किशना, रामदेव पुत्र धन्ना, नेमुड़ी बेवा नाथूराम, नेमाराम खगनाथ बनाराम पि. मालाराम 1/3 हिस्सा बिरमा खोले रामु 1/3 हिस्सापि, नाथूराम पुत्र भुराराम मोहनराम पुत्र भुराराम 1/3 हिस्सा कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वाद में उपलब्ध सम्वत 2013 से आदिनांक तक के रिकार्ड में वादीगण का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं कभी भी 3/5 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

की खातेदारी वादीगण या वादीगण के पूर्वजो की नहीं रही हैं कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण ने उक्त विवादित भूमि में 3/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा चाही हैं कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण को 3/5 हिस्से की खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा उनकी खातेदारी में 2/3 हिस्से की खातेदारी वक्त जागीर रिज्युम होने के वक्त से दर्ज चली आ रही हैं जो जामबन्दी सम्वत 2013 से लगातार दर्ज रिकार्ड हैं जिससे साबित होता हैं कि उक्त भूमि में वादीगण का 3/5 हिस्से की खातेदारी कभी नहीं रही हैं। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड सही साबित होता हैं जिसमें किसी प्रकार के मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाती हैं जिससे वादीगण का वाद साबित नहीं होता हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)